|| कार्यालय, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, घोघरडीहा, मधुबनी ||

वेबसाइट- www.ptecghoghardiha.in

इमेल- ptecghoghardiha@gmail.com

पत्रांक 157 / दिनांक 09.11.021

D.EL.Ed. (2021–23) में चतुर्थ चयन सूची से नामांकन हेतु अभ्यर्थियों को निर्देश :–

1. डी. एल. एड. प्रशिक्षण सत्र 2021-23 के निर्धारित 150 सीटों के लिए प्रथम चयन सूची के उपरांत 112 रिक्त सीटों के लिए काउंसिलिंग दिनांक 28.10.2021, 29.10.2021 एवं 01.11.2021 को आयोजित की गई थी। उसके आधार पर द्वितीय चयन सूची एवं तृतीय चयन सूची प्रकाशित की गई थी।
2. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची के आधार पर अद्यतन 130 सीटों पर नामांकन हो चुका है। शेष बची सीटों में काउंसिलिंग में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों एवं रिक्त सीटों के कोटि के आधार पर चतुर्थ चयन सूची प्रकाशित की जा रही है। चयन सूची से कम अभ्यर्थी आने के कारण बार–बार अगली चयन सूची निकालने की आवश्यकता हो रही है। इसलिए इस बार चयन सूची के साथ **Waiting List** भी निकाली जा रही है। चयन सूची में अंकित अभ्यर्थी के नामांकन तिथि को 4 बजे अपराह्न तक नहीं आने एवं नामांकन नहीं कराने पर ही **Waiting List** के अभ्यर्थी को मेधा अंक के आधार पर उनके कोटि में मौका दिया जाएगा। **Waiting List** के अभ्यर्थी भी **Waiting List** की सूची में अपनी उपस्थिति 4 बजे तक दर्ज करेंगे। नामांकन तिथि को उपस्थित नहीं होने पर चयन सूची और **Waiting List** के अभ्यर्थियों का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। शेष रिक्ति के आधार पर काउंसिलिंग सूची नामांकन प्रक्रिया खत्म होने पर उसी दिन दिनांक 12.11.2021 को प्रकाशित की जाएगी।
3. चतुर्थ चयन सूची से नामांकन की तिथि दिनांक –12.11.2021 है। नामांकन हेतु महाविद्यालय में सभी आवश्यक कागजातों के साथ ससमय उपस्थित होना होगा। उपरोक्त अंतिम तिथि में कार्यालय समय तक नामांकन हेतु उपस्थित नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का चयन स्वतः रद्द हो जायेगा तथा इस में उन्हें नामांकन का अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।
4. नामांकन हेतु चयन के आधार यथा प्राप्तांक, जन्म तिथि, नाम, कोटि में अंतर पाये जाने पर अभ्यर्थी के नामांकन का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा तथा असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी के ऑनलाईन नामांकन शुल्क संस्थान के बैंक A/C में भुगतान कर भुगतान रसीद कार्यालय में निर्धारित समय के अन्दर जमा कराना होगा।
6. दिनांक 01.01.2021 से पूर्व अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षणिक अर्हता / इंटर पूर्ण होना चाहिए।
7. दिनांक 01.01.2021 को आधार मानकर उम्र की गणना की जायेगी। अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए।
8. नामांकन उपरांत अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित उपस्थिति प्रतिशत का अनुपालन करना आवश्यक होगा जिसके अभाव में उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे। इस आशय का शपथ पत्र नामांकन के समय देना अनिवार्य होगा।

–: नामांकन हेतु वांछित अभिलेख:–

1. ऑनलाइन आवेदन प्रिंट की प्रति।
2. मैट्रिक परीक्षा पास करने का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
3. इंटर परीक्षा का मूल अंक एवं प्रमाण-पत्र।
4. उच्चतर योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
5. आवासीय प्रमाण पत्र का मूल प्रति।
6. आरक्षित कोटि एवं विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थी को सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति/ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति। बी0सी0 एवं ई0बी0सी0 कोटि के अभ्यर्थियों को नामांकन के समय Non Creamy layer Certificate जमा करना अनिवार्य होगा।
7. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र। (SLC/CLC) अनिवार्य है।
8. शिक्षण शुल्क के रूप में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 11500/-(ग्यारह हजार पाँच सौ रूपये) एवं अनुसूचित जाति/जन जाति / दिव्यांग अभ्यर्थी 7000/-(सात हजार) रूपये शुल्क का भुगतान चालान के माध्यम से करेंगे।

9. सभी मूल प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति का दो सेट, पॉच पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो एवं सभी मूल प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों को दो फाईल फोल्डर में जमा करेंगे। कुल तीन फोल्डर फाईल 1(मूल)+ 2(छायाप्रति) के साथ जमा करेंगे।
10. सत्यापन के क्रम में प्रमाण पत्रों अथवा संस्थान/बोर्ड के फर्जी पाये जाने की स्थिति में नामांकन के दावे को रद्द करते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
11. अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा की गयी राशि किसी भी स्थिति मे वापस नही की जाएगी।
12. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (रजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा)।
13. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यार्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र देंगे जो वर्ष 2021-23 के लिए मान्य होना चाहिए।
14. शपथ पत्र (नोटरी के द्वारा) जिसमें यह अंकित हो कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र सही है, इनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने की स्थिति में संस्थान मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। (शपथ पत्र प्रपत्र संलग्न)
15. उपर्युक्त सभी शर्तों को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबंधिक रूप से किया जायेगा।
16. सत्र 2021-23 के लिए नामांकन से संबंधित सूचना संस्थान के बेवसाईट **www.ptecghoghardiha.in** पर उपलब्ध रहेगा।
17. महाविद्यालय में जिला पदाधिकारी, मधुबनी के निदेशानुसार पंचायत चुनाव के लिए वज्रगृह स्थल है।

अतः सुरक्षा के दृष्टि एवं Covid-19 को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक रूप से लोग महाविद्यालय परिसर में नहीं आऐंगे एवं Covid-19 के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।

(चंदन प्रभाकर),
प्रभारी प्राचार्य,
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
घोघरडीहा, मधुबनी।